न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का भकरी

बहक श्री ओमप्रकाश
पुत्र श्री भंवरलाल
जाति स्वाती नि. भकरीमौलास

मुकदमा नं. 32 / 2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 28/11/2017

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम भकरीमौलास खसरा नम्बर 351 रकबा 0.0500 हैक्टर किस्म गै.मु.गोचर (राजकीय भूमि) पर संवत 2074 फसलखरीफ में श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल जाति स्वाती निवासी भकरीमौलास (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा आरामशीन लगाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा लिखित में जबाब पेश किया गया। जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम भकरीमौलास ख.न. 351 रकबा 0.0500 किस्म गै.मु.गोचर पर संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर आरामशीन लगाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 5/- प्रति है. का 50 गुणा रूपया 1.00 रू. (रूपये एक रूपया) शास्ति कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी निर्णय की एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये। भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/11/2017 का सरे इजलास सुनाया।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला-नागौर (राज.)

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)